संलग्नक क्रमांक -05 (1)

कार्यवाही विवरण

मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) हसदेव थर्मल पॉवर स्टेशन (HTPS) कोरबा (पश्चिम), जिला–कोरबा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पंचायत– नवागांवकला, पण्डरीपानी, डिंडोलभांठा, कसईपाली, सोनगुढा, बिरदा, धनरास, अरदा, पौनसरा, तेलसरा, देवरी, खोडरी, पाली, दोंदरो, धनगांव, अजगरबहार, चुईया, सोनपुरी, बेला, तहसील–कटघोरा एवं कोरबा(छ.ग.) में **2x660** मेगावॉट कोरबा वेस्ट सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु **दिनांक 30 जनवरी 2024 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) हसदेव थर्मल पॉवर स्टेशन (HTPS) कोरबा (पश्चिम), जिला–कोरबा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पंचायत– नवागांवकला, पण्डरीपानी, डिंडोलभांठा, कसईपाली, सोनगुढा, बिरदा, धनरास, अरदा, पौनसरा, तेलसरा, देवरी, खोडरी, पाली, दोंदरो, धनगांव, अजगरबहार, चुईया, सोनपुरी, बेला तहसील–कटघोरा एवं कोरबा(छ.ग.) में 2x660 मेगावॉट कोरबा वेस्ट सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 30.01.2024, दिन–मंगलवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–दर्री लाल मैदान, एच.टी.पी.एस. कॉलोनी परिसर, दर्री, पोस्ट–जमनीपाली, कोरबा, जिला–कोरबा(छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:15 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा कोरबा के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड–19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में खदान प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। आज दिनांक 30 जनवरी 2024 को 2x660 मेगावॉट कोरबा वेस्ट सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया है।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 450–500 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 418 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. श्री पंचम राठौर, सी.एस.ई.बी सेवानिवृत्त कर्मचारी– मै वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट जिसकी लोकसुनवाई आज किया जा रहा है। मैं इस लोक सुनवाई का स्वागत करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के बनने से आम जनता के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने से आस–पास के कॉलनियों पर प्रभाव भी पडेंगा। इसके कारण प्रदूषण बढेगा। इसके लिये क्या व्यवस्था किया गया है। आस–पास जो गांव है उनमें रहने वाले ग्रामीण धूल डस्ट के उडने से काफी परेशान है। इसके लिये प्रोजेक्ट के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है। इसकी जानकारी हमें दी जाये। प्रदूषण से सभी लोग प्रभावित होंगे। पूर्व में ग्रहित भू–स्थापितों को आज तक रोजगार नहीं दिया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के आने से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आम लोगो जो छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी है उन्हे ही रोजगार प्रदान किया जावें। प्रदूषण प्रभावित व्यक्ति को भी लाभ दिया जावे। इस प्रोजेक्ट के आने वाले प्रभावित ग्राम के बच्चों को रोजगार का लाभ दिया जाना चाहिये। चिमनी से निकलने वाली धुएं से जनमानस को नुकसान होता है।

2. श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव सार्थक कोरबा, जिला–कोरबा – मैं जानना चाहता हूँ कि ई.आई.ए का क्या आपने ध्यान रखा है। आपने पॉच महिने का डाटा दिया है। आपके द्वारा जो डाटा दिया गया है उसमें पूर्ण डाट प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रोजेक्ट के आने से आपके द्वारा बताया गया है कि राखड बांध के लिये आपको कोई अतिरिक्त भूमि नहीं चाहिये। आपके द्वारा फ्लाई ऐश डाटा जो बताया गया है वह बहुत ही कम है। कोरबा से किसी भी विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश सीमेंट फैक्ट्री में नहीं भेजा जाता है। लेकिन आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सीमेंट फैक्टी को दिया जा रहा है। जो कि गलत है। किस मद में कितना फलाई ऐश का उपयोग किया गया है जानकारी देवे। आपने आने वाले प्लांट का लॉगीटयूड व लैटिट्यूड के बारे में नहीं बताया है जिससे प्लांट किस स्थल पर है यह पता नहीं चल पा रहा है। हम कैसें माने की वन भूमि एवं वृक्ष नहीं लगे हुये है। आप लिखकर दिजिये कि पहले आप जो प्लांट को 2030 में बंद होने वाला हैं उसे बंद कर इसका स्थापना किया जावेगा। आपके रिपोर्ट के द्वारा बताया गया पानी से अतिरिक्त पानी आपके द्वारा पूर्व में ही लिया जा रहा है। आपने कोयला परिवहन के लिये बताया है कि कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। नये प्लांट के लिये आपने इसके बार में बताया नहीं गया है कि कोयले का परिवहन किस तरह से किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतू आपके द्वारा क्या किया जावेगा इसके बारे में रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया है। पॉवर प्लांट में कार्य करने वाले मजूदरों पर हेल्थ परीक्षण के बारे में क्या कार्य किया जा रहा है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। पॉवर प्लांट के लगने से लोगो के अलावा पर्यावरण पर भी प्रभाव पडता है। आपने पूर्व में 500 मेगावॉट का जो प्लांट स्थापित किया है उसमें ई.सी के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। दी गई क्षमता के आधार पर प्लांट नहीं लगाया गया है। आप सबसे पहले ई. आई.ए रिपोर्ट की जांच करावें।

3. श्री अनुज लाल यादव, ग्राम लोतलोता – नया प्लांट से लगने से आस–पास के क्षेत्र का विकास होगा। पर्यावरण विभाग से निवेदन हैं। पर्यावरण के नि यमों के अनुसार प्लांट को लगाये।

4. श्री सत्यपाल सिंह रात्रे, जमनीपाली – इस प्लांट के विकास से लोगों का विकास है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्य क्षेत्र में विकास होगा।

5. श्री महादेव कटकवार, वैभव वाटिका–विद्युत विभाग में जो विकास चल रहा है। मुख्य रूप से इस पॉवर प्लांट के बनने से लोगों को रोजगार दिया जायेगा। मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करें ताकि लोगों की स्थिति सुधरे। पानी की व्यवस्था हम लोगों को अतिरिक्त नही लगेगा। मैनेजमेंट के पास भूमि पर्याप्त रूप से। यहां जो विकास होगा उससे आस–पास के लोगों का विकास होगा। लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो। पॉवर प्लांट के समुचित विकास हो सके। ठेका मजदूरों का विकास हो। समर्थन करता हूं।

6. श्री नीरज शर्मा, स्याहीमुड़ी – नये संयंत्र की स्थापना होगी। जमीन की उपलब्धता की जानकारी हमारे पास है। छ.ग. शासन के उपर एवं नागरिकों को विकास होगा। इस संयंत्र के विकास के प्रदेश की उर्जा के

क्षमता विकास होगा। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में राखड़ का ढेर लगा हुआ है। किसी गांव के आस–पास चले जाइये राखड़ का ढेर लगा हुआ है। समस्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिये हैं। पूर्व में कहा गया था कि आस पास के गांवो में सीएसआर के माध्यम से काम कराया जायेगा। सीएस आर के माध्यम से एक भी कार्य नहीं कराया गया है। हमारे कोरबा पश्चिम क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहीये। संविदा कर्मचारी के रूप में मेरी सहपाठी कार्यरत है। इस क्षेत्र केयुवा बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित कराया जाये। लोगों को रोजगार प्रदान किया जाये। आने वाले समय में संयंत्र को समुचित रूप से कार्य कर रहें हैं नये संयंत्रों की स्थापना हो। समर्थन करता हूं।

7. श्रीमती राधाबाई महंत, पूर्व पार्षद, कलमीडूगग्गू – पर्यावरण की जनसुनवाई चल रही है। सीएसआर मद से कितना पैसा इस क्षेत्र में खर्चा किया गया है इस क्षेत्र में अधिकारियो के द्वारा बताया जाता है कि फण्ड की कमी है। 100 रूपये 200 रूपये के लिये लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल में किसी भी लोगों काम नहीं मिला। हम मूल निवासी हैं यहां के हम लोगों को सुविधा प्रदान किया जाये। यहां के लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिला और कुछ भी सुविधा भी नहीं मिला। लोग केवल धुल धक्कड़ खा रहें हैं। आप लोग जो पॉवर प्लांट बना रहे हैं उससे आप लोगों को रोजगार प्रदान करें अन्यथा विरोध करेंगें।

8. श्री गोविन्द दास, नवागांव – नये पॉवर प्लांट के बनने से हम लोगों को रोजगार दिलाया जाये। हम लोगों को एम्बूलेंस की सुविधा दिया जाये। हम लोग जो बाहर कार्य करने जा रहें उन्हे रोजगार मिले।

9. श्री फिरतराम साहू, पार्षद वार्ड 45 – हमारे क्षेत्र में जो नया प्लांट स्थापित होना है। मैं अपने क्षेत्र के समस्या के लिये पत्र दे रहा हूं। इस सुनवाई के माध्यम से अवगत कराने जा रहा हूं कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहें हैं उन्हें हटाया वह नहीं तोड़ा जाये नहीं जाये तथा लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये। हमारे समस्या का समाधान करें।

10. श्री हिरा सिंह सिदार, स्याहीमुड़ी – मेरा गांव पॉवर प्लांट के समीप है। राखड़ की समस्या से अवगत हूं सीएसआर मद के तहत् कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। स्याहीमुड़ी में न तो हॉस्पिटल है न स्कूल है हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। यदि आप लोगों को सुविधा प्रदान नही कर पा रहे तो यह नया प्लांट न लगायें।

11. श्री आशीष कुमार सोनवानी, जमनीपाली– यहां जब से उद्योग आया है। स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को ही काम दिया जा रहा है। राखड़ को आस–पास कहीं भी डाल दिया जा रहा है। यहां लोगो को राखड़ के कारण बिमारियां हो रही है। स्थानीय लोगों को काम में प्राथमिकता दिया जाये।

12. श्री विनय कुमार सिंह, स्याहीमुड़ी – छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन लिमिटेड के द्वारा जो विस्तारीकरण हो रहा जिसकी जनुसनवाई यहां की जा रही है स्याहीमुड़ी गांव में विकास के क्षेत्र में अछूता मैं स्याहीमुड़ी का

निवासी हूं आज तक हम लोगों को सुविधा नहीं दी गई मेरी पैतृक भूमि सीएसईबी में हस्तांतरित किया गया है। आज तक मेरे परिवार से किसी भी लोगों को रोजगार नही दिया गया है। ऑफिस में मेरे द्वारा कई बार आवेदन दिया गया था। जो प्रभावित लोग है उनको रोजगार दिया जाये। मेरे परिवार के कम से कम व्यक्ति को रोजगार दिया जाये। स्याहीमुड़ी हाईस्कूल में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। यहां जो स्वास्थ्य विभाग है हमारे लोगों को चिकित्सा सुविधा तथा कार्ड नहीं बना है। आस–पास राखड़ बांध से ग्राम स्याहीमुड़ी प्रभावित है। हमारे लोगों के शिक्षा के संबंध में विकास किया जाये। चिकित्सालय में डॉक्टर की उपलब्धता किया जाये।

13. श्री वर्धन कुमार भारिया, स्याहीमुड़ी – पूर्व से 500 मेगावाट की स्थापना की जा चुकी हैजिसमें स्याहीमुड़ी का जमीन अधिग्रहण किया गया है लेकिन हमारे गावं के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। हमें रोजगार प्रदान किया जाये सीएसआर मद से एक भी कार्य नहीं कराया गया, सीएसईबी ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है सीमांकन आदेश आने के बाद भी प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सीएसईबी के बाउण्ड्रीवाल के अंदर है।
14. श्री दिलबोध कुमार, झाबुगांव – नया प्लांट बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। मै समर्थन करता हूं।
15. श्री दीपकदास, झाबुगांव – नया प्लांट बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। समर्थन करता हूं। लोगों को सुविधा होगी।
16. श्री किशोर कुमार – हमें यह सुनकर दुख होने लगा इस क्षेत्र में नया प्लांट लगना हैं। हमारा जमीन पूर्व से स्थापित प्लांट में चला गया लेकिन आज तक किसी लोगों रोजगार नहीं मिला। स्वास्थ्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हम अधिकारियों के द्वारा हमारी बातों पर कोई ध्यान नही दिया जाता है। हमारे नवागांव क्षेत्र राखड़ से पूर्णतः प्रभावित हो चुका है, जनसुनवाई एक फॉरमिलिटी है कोई कार्य नहीं कराया जाता है। जिनके पास खाने का नहीं है किन्तु बिजलीबिल देखिये आज के डेट में एक लाख रूपये आता है यदि समस्या लेकर जाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। मेरी यह गुजारिश है कि आप प्लांट लगा रहें हैं इसका विरोध है। यहां स्थानीय लोगों को रोजगार नही दिया जाता है बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है। मैं अधिकारी लोगों के पास बार–बार गया हूं समस्या लेकर लेकिन समस्या को कोई सुनता नहीं है।
17. श्री वीरसाय धनवार, पूर्व पार्षद – शासन पहले से ही इस प्लांट को लगाने की मनसा बना चुकी है। हम लोगों को स्थापित उद्योगों से समस्या का सामना करना पड़ता है। पॉवर प्लांट के आस–पास की झुग्गीझोपड़ी प्रभावित हो रही है अथवा नही स्पष्ट जानकरी प्रदान करें। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिजिये।

18. श्री राधेश्याम जायसवाल, भारतीय मजदूर संघ, जमनीपाली– हमारे कई साथियों ने कहा पर्यावरण के लेकर के विश्व के लोग परेशान हैं प्लांट लगने के पूर्व जनसुनवाई हुई थी वास्तव उन सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला जिनकी जमीन गया है उन सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहीये जिनकी जमीन गई है। सीएसआर फण्ड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। प्लांट लगना बहुत जरूरी है लेकिन पर्यावरण के हिसाब से कार्य करना चाहिये।

19. श्री गुलशनदास, ग्राम लोतलोता – 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। यदि यह प्लाट यहां स्थापित नहीं किया जाता है तो हमें भविष्य में बिजली की समस्या उत्पन्न होगी। पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण आज दूषित जो गया है। शासन को कृषि कार्य को बढावा दिया जाना चाहिये । कारखानों के निर्माण से जंगलो की कटाई होगी तथा उपजाउ जमीन को हानि होगी। तथा आने वाली पीढियों को परेशानियों का सामना करना होगा। पर्यावरण को बचाना है क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं । पर्यावरण अधिनियम में वन्य प्राणवियों को बचाने का नियम है। सौर प्लांट को लगाया जाना चाहिये।

20. श्री चंद्रशेखर राठौर, कोरबा – दर्री में यह प्लांट बना रहा है यह गर्व की बात है। लेकिन इसके बाद यहां के लोगो को शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविध होगी क्या? इस क्षेत्र में अच्छे से स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना चाहिये।

21. श्रीमती सुनिति साहू, दर्री– आज जो लोकसुनवाई हो रहा है उसमें हमारे माहेल्ले के झोपडियों को बार बार प्रबंधन के द्वारा नापा जाता है जिससे मोहल्ले वासियों में डर बना रहता है हमारे झोपडियों का क्या होगा।

22. श्री श्रवण कुमार बंजारा, कोरबा पश्चिम– मैं आग्रह करता हूँ कि स्थानीय लोगो के समस्या का निराकरण करते हुये संयंत्र का कार्य पूरा किया जावे। यहां पर संयंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये, जिससे यहां बिजली की पूर्ति होगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

23. श्री प्रेमचंद पाण्डेय, वार्ड पार्षद– इस संयंत्र के विस्तार के साथ–साथ बहुत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये, आस–पास के क्षेत्र में प्रबंधन के द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु कोई सुविधा प्रदान नहीं किया गया अन्य संयंत्रों के द्वारा कार्य कराया जाता है, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। सीएसईबी के द्वारा राखड प्रदूषण के रोकथाम हेतु कोई भी कार्य नही किया गया है। प्रबंधन के द्वारा बाहरी लोगो को रोजगार दिया जाता है लेकिन स्थानिय लोगो को नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये। सीएसआर मद से कोई भी कार्य नहीं कराया जाता है। प्रबंधन के द्वारा केवल कर्मचारियों को ही स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाती है आम–जनता को भी यह सुविधा दिया जाना चाहिये। इस प्रोजेक्ट के आने से किसी का भी मकान आदि नहीं हटाना चाहिये यदि हटाया जाता है ते उचित स्थान पर बसाया जाना चाहिये।

24. श्रीमती शकुन यादव , कलमीडूग्गू, दर्री – 2004 से मै प्रोजेक्ट में कार्य रही हूँ। लेकिन हम लोगो को विगत तीन माह से कार्य से पृथक कर दिया गया है। कब से कार्य पर रखा जावेगा बताया जाये।

25. श्री गोविंद सिंह कंवर, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा– मै एक भू–विस्थापित हूँ, लेकिन मुझे आज तक रोजगार प्रदाय नहीं किया गया है। मैंने प्रबंधन को कई बार इसके बारे मे अवगत भी कराया गया है। लेकिन इसका ध्यान प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में राखड की काफीपरेशानी हो रहे है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। प्रबधंन को सर्वप्रथम राखड प्रबंधन हेतु व्यवस्था की जानी चाहिये। तथा ओव्हर लोडिंग के माध्यम से ट्रकों में राखड का परिवहन नहीं किया जाना चाहिये। प्रबंधन के द्वारा भूमि तो लिया जाता है लेकिन इसके बदले हमें रोजगार नहीं दिया जाता है। हमारे गांव में सड़क मार्ग का निर्माण प्रबंधन के द्वारा आज तक सीएसआर मद से नहीं कराया गया है। मेरा कहना है जो पॉवर प्लांट स्थापित हो रही है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है।

26. श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सिचाई कॉलोनी वार्ड 43 – मै इस लोकसुनवाई का विरोध करती हूँ। हमारे कॉलोनी से राखड पाईप लाईन गई है जिससे हमे परेशानियों का सामना करना पडता है। आस–पास के क्षेत्र के झोपडी नहीं तोडा जाना चाहिये।

27. श्रीमती वंदना साहू, आवासीय परिसर जमनीपाली– इस प्रोजेक्ट के आने से रोजगार में बढोतरी होगी। मै इसका स्वागत करती हूँ। कॉलीनियों का सिक्योरिटी व लाईट व्यवस्था पर ध्यान दिया जावे।

28. श्रीमती सरस्वती साहू , दर्री – मेरे दो बेटे है दोनो विकलांग है और दोनो बेरोजगार है। प्रबंधन से निवेदन है कि संयंत्र में उन्हें रोजगार दिया जावे।

29. श्री बैशाखु राम यादव, जनपद सदस्य पंडरीपानी– 1320 मेगावॉट स्थापित होना बहुत खुशी की बात है लेकिन हम ग्रामवासियों के लिये दुखी की बाती है। हम लोग की भूमि प्रबंधन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है लेकिन हम ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदाय नहीं की जाती है। हम ग्राम वासियों को प्रंबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार का रोजगार एवं मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

30. श्री विकास गुप्ता, राजीवनगर– मेरा दुकान को उद्योग प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा हटा दिया गया है, जिसका आवेदन मेरे द्वारा शासन को दिया गया है। इसका निराकरण तत्काल करें। 22 वर्षो से मेरे द्वारा दुकान लगाया जा रहा था।

31. डॉ गुंजलाल राठिया, ग्राम–सोनपुरी – इस लोकसुनवाई में उपस्थित सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे खेत पर कई हाईवा राखड गिरा दिया गया है। कई शिकायत करने के बाद भी आज़ तक राखड नहीं उठाया गया है। इसके अतिरिक्त भी आस–पास के क्षेत्र में राखड गिराया गया है। राखड के परिवहन पर लगाम लगाया जाना चाहिये जिससे क्षेत्रवासियों को प्रदूषण का सामना न करना पडे। राखड के प्रदूषण होने से

खेती करने में समस्या हो रही है। सीएसआर मद से प्रबंधन के द्वारा आस–पास के ग्रामों का विकास कराया जाना चाहिये। हमारे शिकायत पर शासन को ध्यान देना चाहिये।

32. श्री जगलाल सिंह राठिया, जनपद सदस्य अजगरबहार – इस लोकसुनवाई में उपस्थित सभी का स्वागत करता हूँ। 1320 मेगावॉट विद्युत संयंत्र का विस्तार का समर्थन करता हूँ। प्रबंधन द्वारा पूर्व में स्थापित पॉवर प्लांटों के प्रदूषण से हम लोग प्रभावति हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है। हमारे कृषि भूमि पर राखड के कारण कार्य करना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारों को नियमित रोजगार दिया जावे। हमारे क्षेत्र की कृषि भूमियों पर नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाये। सीएसआर मद से स्थानीय क्षेत्र पर कार्य कराया जावें।

33. श्रीमती लक्ष्मी बाई केंवट– मेरा पति श्री तुलाराम केंवट छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल की नर्सरी मे कई वर्षो से कार्य किया है। लेकिन उसे आज दिनांक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मेरे समस्या का निराकरण किया जावे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। पर्याप्त समय व पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जनसुनवाई के संबंध में जनसमुदाय से विचार/सुझाव रखने हेतु कोई भी व्यक्ति उपस्थित नही हुआ। तदपश्चात इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है, जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 03:18 बजे प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसल्टेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

श्री एच. एन. कोसरिया, मुख्य अभियंता परियोजना, रायपुर द्वारा जनसुनवाई के ज्वलंत मुद्दो पर जवांब प्रस्तुत किया गया :– नया प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है राखड़ प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च क्वालिटी के ईएसपी की स्थापना किय जायेगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु परिसर के भीतर एसटीपी की स्थापना की जायेगी एवं दूषित जल का उपचार हेतु ईटीपी की स्थापना की जायेगी। उपचारोंपरांत उपचारित जल को पुनः परिसर में ही उपयोग किया जायेगा। राखड़ का अपवहन निचले क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माण कार्य एवं एसईसीएल के बंद मानिकपुर खदान में भराव में किया जाना है। रोजगार के लिये प्रबंधन के द्वारा स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। सीएसआर मद से आस–पास के गांवों तथा क्षेत्रों में सक्षम अनुमोदन उपरांत के पश्चात् कार्य कराये जायेंगें। ड्राफ्ट ईआईए कन्सल्टेंट हेतु मेसर्स विम्टा लैब को मान्यता प्राप्त है। एक वर्ष का बेस लाईन डाटा कम्प्रेसिव रिपोर्ट में प्रस्तुत की जावेगी। वर्तमान में संचालित राखड़ बांध के संबंध में

9

जायेगा। नये प्लांट की विस्तार हेतु नये जमीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयंत्र के पास सिंचाई विभाग की जमीन की आवश्यकता है जिसके संबंध में सिंचाई विभाग कोरबा से पत्राचार किया गया है तथा सिंचाई विभाग के जमीन निवासरत् लोगों की विस्थापित किये जाने उपरांत उनके लिये समुचित व्यवस्था किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 18 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में निरंक अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 03:45 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

30/01/24

(शैलेष पिस्दा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

(प्रदीप कुमार साहू)
अपर कलेक्टर
जिला–कोरबा (छ.ग.)